

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएं
(एनएचएम) स्वास्थ्य भवन, सी-स्कीम, तिलक मार्ग, जयपुर

No. F18 (20)/NHM/MMU/MMV/Compplan/2017/14906

Date: 6/11/17

—:उपापन समिति गठन आदेश:—

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मुख्यालय, जयपुर में विभिन्न प्रकार के उपापन (क्रय, आपूर्ति, सेवाएं, दर संविदा इत्यादि) के प्रयोजनो हेतु राज्य लोक उपापन में पारदर्शिता नियम के अनुसरण में निम्नानुसार उपापन समितियों का गठन किया जाता है।

(01) राशि 10.00 लाख से अधिक मूल्य की मदों या उन आम मदों के लिए, जिनकी दर संविदाएं सम्पूर्ण रूप से एक विभाग के रूप में दर्ज की जानी है:—

1. विभागाध्यक्ष/प्रतिनिधी (प्रतिनिधी अति० विभागाध्यक्ष से निम्न श्रेणी का नहीं होगा) पीठासीन अधिकारी
2. निदेशक, वित्त/संयुक्त निदेशक, वित्त सदस्य
3. योजना/कार्यक्रम प्रभारी सदस्य सचिव
4. तकनीकी सदस्य (एक से अधिक हो सकेंगे) सदस्य
5. भण्डारपाल (यदि आवश्यकता हो तो) सदस्य

(02) राशि 10.00 लाख से कम की मदें

1. विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी (अति० निदेशक/संयुक्त शासन सचिव/परियोजना निदेशक) पीठासीन अधिकारी
2. निदेशक, वित्त/संयुक्त निदेशक, वित्त सदस्य
3. योजना/कार्यक्रम प्रभारी सदस्य
4. तकनीकी सदस्य (एक से अधिक हो सकेंगे) सदस्य
5. भण्डारपाल (यदि आवश्यकता हो तो) सदस्य


(03) सीमित निविदाएँ/कोटेशन/एकल निविदा

1. विभागाध्यक्ष द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी (अति० निदेशक/संयुक्त शासन सचिव/परियोजना निदेशक) पीठासीन अधिकारी
2. संयुक्त निदेशक, वित्त/उप निदेशक, वित्त/लेखाधिकारी
3. योजना/कार्यक्रम प्रभारी
4. भण्डार अधिकारी सदस्य सचिव
5. भण्डारपाल (यदि आवश्यकता हो तो)
6. तकनीकी सदस्य (यदि पीठासीन अधिकारी आवश्यक समझे तो)

उपरोक्त समितियों द्वारा उपापन से संबंधित निम्न कार्य किए जायेंगे :-

1. बोली दस्तावेज (Biding Documents) तैयार करना।
2. बोलियों का खोलना।
3. बोलियों का मूल्यांकन (Evaluation)
4. संविदा का अनुश्रवण (Monitoring of Contract)
5. मोके पर क्रय (Spot purchase)

6. प्रतियोगी बातचीत (Competitive Negotiation)
7. उपापन से संबंधित कोई अन्य प्रयोजन, जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिश्चित किया जावे।


(नवीन जैन)
शासन सचिव

चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग एवं
मिशन निदेशक, एनएचएम

No. F18 (20)/NHM/MMU/MMV/Compplan/2017/

Date:

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. निजी सहायक, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, शासन सचिव एवं मिशन निदेशक, एनएचएम जयपुर।
3. निजी सहायक, अतिरिक्त मिशन निदेशक, एनएचएम, जयपुर।
4. निदेशक, जन-स्वास्थ्य/आरसीएच/एडस, चिकित्सा मुख्यालय, जयपुर।
5. निदेशक, वित्त, एनएचएम।
6. संयुक्त निदेशक, वित्त, एनएचएम।
7. राज्य कार्यक्रम प्रबंधक, एनएचएम मुख्यालय।
8. समस्त परियोजना निदेशक/राज्य नोडल अधिकारी, एनएचएम, जयपुर।
9. भण्डार अधिकारी, एनएचएम, जयपुर।
10. राज्य वित्त प्रबंधक, एनएचएम, जयपुर।
11. अनुभाग अधिकारी, एचआर, एनएचएम।
12. समस्त सलाहकार/कार्यक्रम अधिकारी, एनएचएम, जयपुर।
13. भण्डार पाल, एनएचएम, जयपुर।
14. सलाहकार-विधि, एनएचएम।
15. सर्वर रूम प्रभारी, एनएचएम को संबंधित को ई-मेल हेतु।
16. आदेश/रक्षित पत्रावली।


परियोजना निदेशक
एनएचएम